राज्य स्कीम की राशि

3/यो0-30/2017(खण्ड)

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश

(संख्या /2019-20)

प्रेषक,

विजय रंजन,

संयुक्त निदेशक (मु0),

सेवा में,

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -.................................

विषय : **वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (राज्य स्कीम) के विभिन्न घटको सहित कुल रूपये 3016.20 लाख (तीस करोड़ सोलह लाख बीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत महिलाओं एवं किशोरियों का सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण, उद्यमिता विकास तथा उनके जीवन में गुणात्मक सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र-योजना कार्यान्वित है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना (राज्य स्कीम) के विभिन्न घटको सहित कुल 9140.00 लाख (एकानवे करोड चालीस लाख) का उदव्यय प्राप्त है। वित विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 256/वि0 दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्राप्त कुल उदव्यय का सिर्फ 33 प्रतिशत ही राशि व्यय करने के निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (राज्य स्कीम) के विभिन्न घटको हेतु **रूपये 3016.20 लाख (तीस करोड़ सोलह लाख बीस हजार)** मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है :-

रूपये लाख में

क्र0	योजना का नाम	विषय शीर्ष	विपत्र कोड	योजना उदव्यय	राशि
1	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	0109 31 06	(51 2235021030109)	5530.00	1824.90
2	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना-विशेष घटक	0107 31 06	(51 223502/890107)	2810.00	927.30
3	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जनजातीय क्षेत्र उप योजना	0123 31 06	(51 223502/960123)	800.00	264.00
	कुल योग (तीस करोड़ सोलह लाख बीस हजार) मात्र			**9140.00**	**3016.20**

2. सक्षम कार्यालय के अंतर्गत डी0बी0टी0सेल द्वारा विकसित ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभार्थियों को राशि का हस्तांतरण डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे उनके खाते में किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत राशि में से 1(एक) प्रतिशत की राशि प्रशासनिक मद में व्यय किया जायेगा।

4. स्वीकृत [illegible] निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे [illegible] नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, समाज कल्याण है। राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन [illegible] से की जायेगी।

5. उक्त स्वीकृत [illegible] समाज कल्याण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं [illegible] योजना/कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी [illegible] पदाधिकारी की होगी।

6. राशि की निकासी [illegible] विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998, 3758/वि0 दिनांक-31.05.2017, 378/वि0 दिनांक-16.01.2018, 1354/वि0 दिनांक-28.03.2018, 256/वि0 दिनांक 26.02.2019 एवं समय-समय पर निर्गत [illegible] दिशानिर्देश के अनुसार किया जायेगा।

7. यह स्वीकृत्यादेश [illegible] संचिका सं0 [illegible]/2019(खंड) के टिप्पणी पृ0-12/टि0 पर दिनांक-03.04.2019 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार [illegible] इस शर्त के साथ दी गयी है कि निकासी के 18 माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार [illegible] नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित करेंगे एवं इस राशि का व्यय केवल उसी मद के लिए [illegible] जिस मद के लिए आवंटन प्राप्त है।

8. यह स्वीकृत्यादेश [illegible] सं0 [illegible]/2019(खंड) के टिप्पणी पृ0-12/टि0 पर दिनांक-04.04.2019 को माननीय विभागीय मंत्री [illegible] अनुमोदन प्राप्त है।

9. यह चालू योजना [illegible] महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन
ह0/-
(विजय रंजन)
संयुक्त निदेशक (मु0)

ज्ञापांक- 3/यो0 [illegible]   पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि [illegible] महालेखाकार, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण [illegible] निदेशक, समाज कल्याण, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, निदेशक, आई0सी0डी0एस0 [illegible] समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी [illegible] समाज कल्याण निदेशालय/लेखा-शाखा, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/सभी [illegible] पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सभी प्रखण्ड [illegible] को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
(विजय रंजन)
संयुक्त निदेशक (मु0)

ज्ञापांक- 3/यो0 [illegible] 24   पटना-15, दिनांक- 08-04-2019

प्रतिलिपि [illegible] सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार [illegible] सभी जिला कोषागार पदाधिकारी एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी तथा [illegible] को सूचनार्थ प्रेषित।

(विजय रंजन)
संयुक्त निदेशक (मु0)